वाइटल स्टैट्स

मानसून सत्र 2025 में संसद का कामकाज

संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त, 2025 तक संचालित किया गया। इस दौरान दोनों सदनों ने मूल रूप से निर्धारित 21 दिनों तक कार्य किया। हालांकि निर्धारित समय का दो-तिहाई हिस्सा व्यवधानों के कारण नष्ट हो गया। इसका विशेष रूप से प्रश्नकाल पर बुरा प्रभाव पड़ा- लोकसभा ने निर्धारित प्रश्नकाल के 23% समय तक कार्य किया जबकि राज्यसभा ने 6% समय तक कार्य किया। व्यवधान के बीच कई बिल बिना चर्चा के पारित भी हो गए। प्रत्येक सदन में शुक्रवार दोपहर को गैर सरकारी सदस्यों के प्रस्तावित बिल्स और प्रस्तावों पर विचार किया जाता है; इस सत्र के दौरान इन पर विचार नहीं किया गया। लोकसभा पिछले छह वर्षों से उपाध्यक्ष के बिना कार्य कर रही है- जो एक संवैधानिक आवश्यकता है।

इस नोट में इस अवधि के दौरान दोनों सदनों के कामकाज पर विचार किया गया है।

लोकसभा ने अपने निर्धारित समय का 29% कार्य किया, राज्यसभा ने 34%

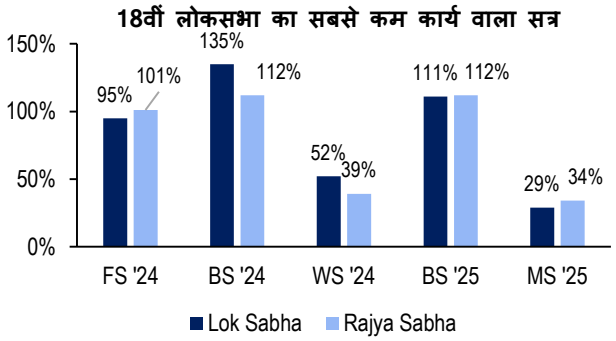

- दोनों सदनों ने अपने निर्धारित समय का लगभग एक तिहाई काम किया। 18वीं लोकसभा के दौरान यह सबसे कम कामकाज वाला सत्र था।
- कार्यदिवसों में बहुत व्यवधान हुए। सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही बार-बार स्थगित होती रही और फिर कुछ मिनटों की बैठक के बाद फिर से स्थगित कर दी गई। इसे समझने के लिए निम्नलिखित रेखाचित्र को देखें।

नोट: FS पहला सत्र है, BS बजट सत्र है, MS मानसून सत्र है, और WS शीतकालीन सत्र है।

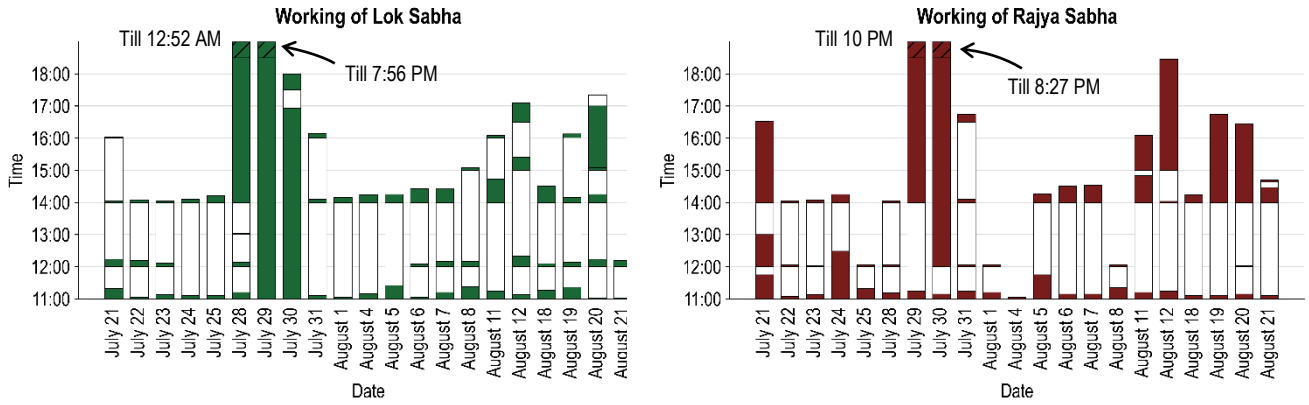

नोट: शेडेड हिस्से सदन के कामकाज के समय को दर्शाते हैं, और सफेद हिस्से दर्शाते हैं कि इस अवधि के दौरान सदन स्थगित था।

अत्रि प्रसाद राउत
atri@prsindia.org

निरंजना एस. मेनोन
niranjana@prsindia.org

21 अगस्त, 2025

दोनों सदनों में 10% से भी कम तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए

- राज्यसभा में 12 दिन और लोकसभा में सात दिन किसी भी प्रश्न का मौखिक उत्तर नहीं दिया गया। लोकसभा में मंत्रियों ने 8% तारांकित प्रश्नों और राज्यसभा में 5% तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए। जब प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए जाते हैं, तो सांसद पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

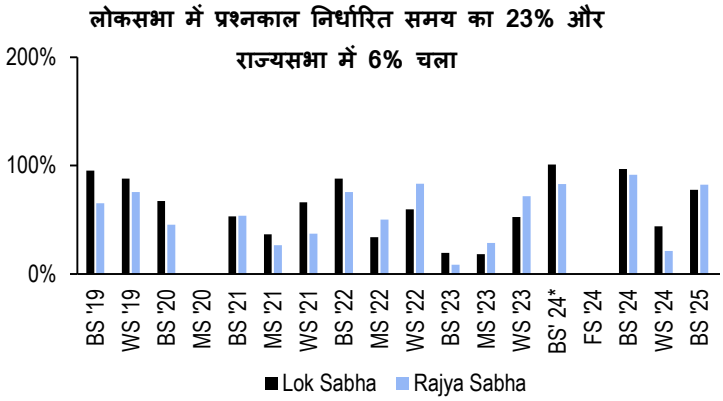

नोट: MS 2020 और FS 2024 के दौरान प्रश्नकाल संचालित नहीं किया गया था।*17वां लोकसभा बजट सत्र।

बिल पारित करने से पहले सीमित चर्चा; पांच बिल कमिटीज़ को भेजे गए

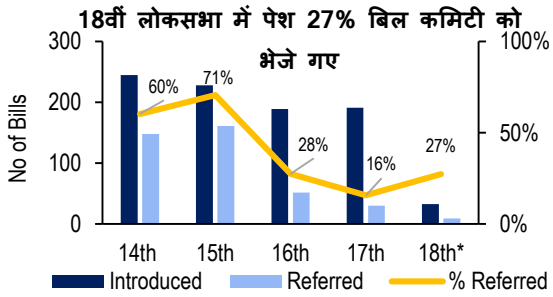

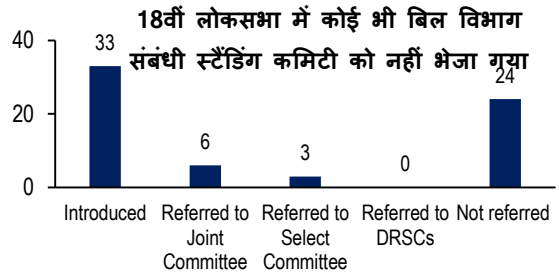

नोट: *मानसून सत्र 2025 तक

नोट: DRSC का अर्थ है, विभाग संबंधी स्टैंडिंग कमिटी।

- सत्र के दौरान 13 बिल प्रस्तुत किए गए (एप्रोप्रिएशन बिल्स को छोड़कर)। तीन ज्वाइंट कमिटीज़ को और दो लोकसभा की सिलेक्ट कमिटीज़ को भेजे गए। अन्य आठ बिल सत्र के दौरान ही पारित कर दिए गए।

- आमतौर पर विभाग संबंधी स्टैंडिंग कमिटी बिल्स की समीक्षा करती हैं। 17वीं लोकसभा के दौरान कमिटीज़ को भेजे गए 30 बिल्स में से 24 बिल स्टैंडिंग कमिटीज़ को, पांच ज्वाइंट कमिटीज़ को और एक सिलेक्ट कमिटी को भेजे गए।
- लोकसभा की सिलेक्ट कमिटी ने आय-कर बिल, 2025 पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। बाद में इस बिल को वापस ले लिया गया। इसके स्थान पर, एक नया बिल, आय-कर (संख्या 2) बिल, 2025 को उसी दिन लोकसभा में बिना किसी चर्चा के पेश और पारित कर दिया गया।
- दोनों सदनों में 14 बिल पारित किए गए (फाइनांस और एप्रोप्रिएशन बिल्स को छोड़कर)। इनमें से ज्यादातर को सीमित चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। कई को पेश होने के एक हफ्ते के भीतर पारित कर दिया गया (देखें तालिका)।

बिल पर चर्चा और पारित करने के लिए आवंटित समय और इसमें लगने वाला वास्तविक समय

बिल	लोकसभा		राज्यसभा		पारित होने में लगने वाले दिन*
	आवंटित समय	व्यतीत समय	आवंटित समय	व्यतीत समय	
आय-कर बिल, 2025**	12 घंटे	5 मिनट	9 घंटे	-	-
आय-कर (संख्या 2) बिल, 2025	-	4 मिनट	-	1 घंटा 10 मिनट	1 दिन
कराधान कानून (संशोधन) बिल, 2025	-		-		
राष्ट्रीय स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, 2025	8 घंटे	34 मिनट	4 घंटे	2 hr 8 मिनट	20 दिन
राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग (संशोधन) बिल, 2025					
मणिपुर जीएसटी (संशोधन) बिल, 2025	2 घंटे	22 मिनट	4 घंटे	40 मिनट	4 दिन
मणिपुर एप्रोप्रिएशन बिल, 2025	2 घंटे				
खान और खनिज (विकास एवं रेगुलेशन) संशोधन बिल 2025	-	30 मिनट	-	2 घंटे 34 मिनट	8 दिन
आईआईएम (संशोधन) बिल, 2025	-	7 मिनट	-	1 घंटे 14 मिनट	2 दिन
ऑनलाइन गेमिंग का रेगुलेशन बिल, 2025	-	6 मिनट	-	23 मिनट	1 दिन
भारतीय पत्तन बिल, 2025	3 घंटे	24 मिनट	2 घंटे	2 घंटे 3 मिनट	143 दिन
मर्चेंट शिपिंग बिल, 2024	2 घंटे	20 मिनट	2 घंटे	10 मिनट	244 दिन
गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण बिल, 2024	2 घंटे	1 घंटे 57 मिनट	2 घंटे	23 मिनट	371 दिन

नोट: *पारित होने में लगने वाले दिन दरअसल पहले सदन में पेश और दूसरे सदन में पारित होने के बीच के दिनों की संख्या है। ** इस बिल को वापस ले लिया गया और इसके स्थान पर आय-कर (संख्या 2) बिल, 2025 लाया गया।

लोकसभा के कामकाज का 50% समय ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में व्यतीत हुआ

लोकसभा की कार्यवाही का 50% समय ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में व्यतीत हुआ

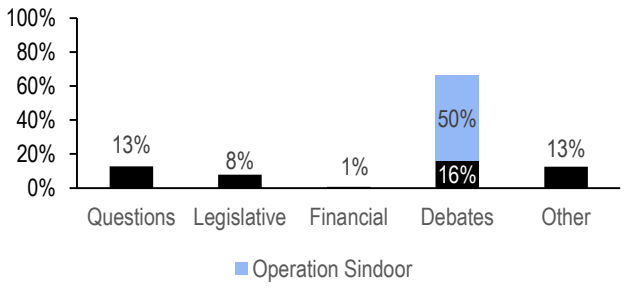

राज्यसभा के कामकाज का 38% समय ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में व्यतीत हुआ

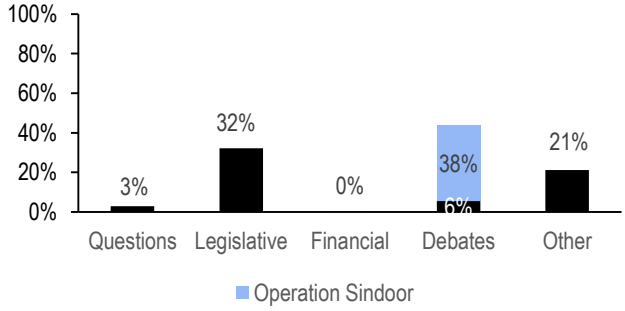

- ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में लगभग 19 घंटे और राज्यसभा में 16 घंटे चर्चा हुई। यह लोकसभा के कुल कार्यसमय का लगभग आधा और राज्यसभा के एक तिहाई से भी ज़्यादा समय था।

- जस्टिस यशवंत वर्मा (वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश) पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया। इस मुद्दे की समीक्षा के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है।

दोनों सदनों में गैर सरकारी सदस्यों का कामकाज नहीं हुआ

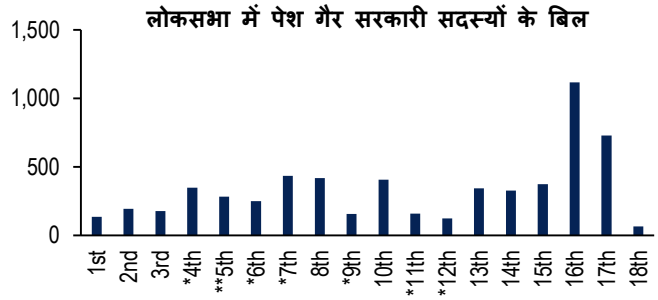

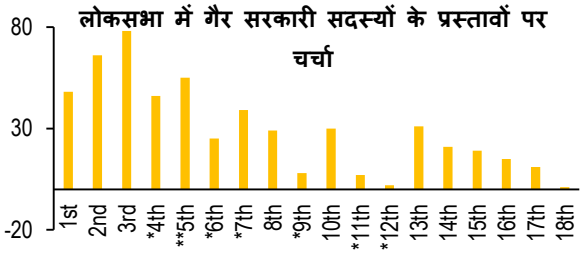

नोट: *पांच वर्ष से कम अवधि को दर्शाता है; ** छह वर्ष की अवधि को दर्शाता है

- प्रत्येक शुक्रवार को ढाई घंटे का समय गैर सरकारी सदस्यों (ऐसे सांसद जो मंत्री नहीं हैं) के बिल और प्रस्तावों के लिए सुरक्षित होता है। इस सत्र के दौरान किसी भी सदन में गैर सरकारी सदस्यों का कोई कामकाज नहीं हुआ। लोकसभा में एक वर्ष से अधिक समय से गैर सरकारी सदस्यों के बिल न तो पेश किए गए हैं और न ही उन पर चर्चा की गई है।

जून 2019 से लोकसभा में उपाध्यक्ष नहीं हैं

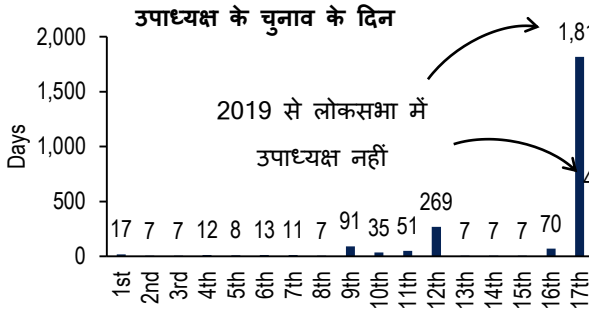

- 18वीं लोकसभा ने अभी तक उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं किया है। 17वीं लोकसभा ने अपने पूरे पांच वर्ष के कार्यकाल में किसी उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं किया। संविधान के अनुसार, लोकसभा को यथाशीघ्र एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करना आवश्यक है।
- अध्यक्ष का पद रिक्त होने या बीमारी के कारण अनुपस्थित होने की स्थिति में उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी उपाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

स्रोत: लोकसभा और राज्यसभा की कार्य सूची, बुलेटिन; कार्य प्रक्रिया और संचालन नियम, लोकसभा और राज्यसभा, सांख्यिकीय विवरण 2023, संसदीय कार्य मंत्रालय; बिजनेस एडवाइजरी कमिटी की रिपोर्ट; पीआरएस।

डिस्क्लेमर: प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।